पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

विकास भवन, भू–तल, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19नया रायपुर

दूरभाष क्र **0771–2960279** अथवा **Email - dp.cg@nic.in**

क्रमांक / मह.सदन / LAND-43023/268/2026 -DIR नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक Approved Date.

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– महतारी सदन योजना वर्ष 2026–27 के अंतर्गत अनुशंसा।

संदर्भ :– LAND-43023/268/2026 Date 19-10-2026

———000———

वित्तीय वर्ष 2026–27 महतारी सदन योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण कार्य की अनुशंसा जारी की जा रही है। छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुशंसित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये लाख में)

स.क्र.	अनुमोदित कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	विकासखंड	युनिट संख्या	अनुमोदित राशि
1	2	3	4	5	7	8
1	महतारी सदन निर्माण	पिपरौद	पिपरौद	अभनपुर	1	30.00
2	महतारी सदन निर्माण	पटेवा	पटेवा	अभनपुर	1	30.00
3	महतारी सदन निर्माण	धुसेरा	धुसेरा	अभनपुर	1	30.00
4	महतारी सदन निर्माण	टेमरी	टेमरी	धरसींवा	1	30.00
5	महतारी सदन निर्माण	धरमपुर	धरमपुर	धरसींवा	1	30.00
6	महतारी सदन निर्माण	मुजगहन	मुजगहन	धरसींवा	1	30.00
7	महतारी सदन निर्माण	भानसोज	भानसोज	आरंग	1	30.00
8	महतारी सदन निर्माण	गोढ़ी	गोढ़ी	आरंग	1	30.00
9	महतारी सदन निर्माण	चिखली	चिखली	आरंग	1	30.00
10	महतारी सदन निर्माण	पलौद	पलौद	आरंग	1	30.00
योग					10	300.00

(अक्षरी राशि रू. तीन करोड़ रू. मात्र)

अनुशंसित कार्यो पर निर्णय एवं क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो। स्वीकृति में प्रशासकीय, वित्तीय तकनीकी एवं अन्य प्रावधानों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

1. महतारी सदन निर्माण हेतु कार्य एजेंसी "**ग्राम पंचायत**" होगी।
2. यदि एक ग्राम / ग्राम पंचायत में एक ही स्थल पर समान स्वरूप (**Same work**) के कार्य की दो बार अनुशंसा जारी की गई है, तो एक कार्य की ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए दूसरे कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न की जावे एवं इसकी सूचना पंचायत संचालनालय को दी जावे।
3. राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
4. वास्तविक प्राक्कलन के आधार पर कार्य स्वीकृति के समय यह विशेष ध्यान रखा जावे कि स्वीकृत कार्य की कुल लागत अनुशंसित राशि से अधिक न हो ।
5. प्रशासकीय स्वीकृति के पूर्व तकनीकी स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

6. अनुशंसित राशि का लेखा संधारण संबंधित कार्यकारी पंचायत द्वारा रखा जावेगा । योजना अथवा जिस प्रयोजन हेतु अनुदान दिया जा रहा है, उसका उपयोग भी उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा ।
7. योजना के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
8. अनुशंसित कार्य विधिवत् तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित की जावे कि संबंधित कार्य पूर्व से किसी अन्य योजना से स्वीकृत/निर्मित नहीं है । यदि यह पता चले कि अनुशंसित कार्य की स्वीकृति/निर्माण पूर्व में हो चुका है, तो अनुशंसा स्वतः निरस्त मानी जावे तथा इसकी सूचना इस विभाग को दी जावे।
9. कार्य निर्धारित प्राक्कलन एवं मापदंड अनुसार ही कराया जाय तथा तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन, अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जावे।
10. क्रियान्वयन एजेन्सी को यह स्पष्ट निर्देश दिये जावे कि शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक किश्त के पश्चात उपयोगिता प्रमाणित होने के उपरांत ही आगामी किश्त जारी करे। एक मुश्त राशि किसी भी परिस्थिति में जारी न किये जावे एवं कार्य स्थल पर बोर्ड लगाया जावे।
11. जारी किये जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह की 05 तारीख तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित कार्यकारी पंचायतों से संकलित कर समय सीमा में इस विभाग को अनिवार्य रूप से भेजेंगे, साथ ही इसकी जानकारी ई–मेल पर भी देंगे।
12. अनुशंसित कार्य में किसी भी प्रकार की संशोधन हेतु अनिवार्यतः पंचायत संचालनालय को भेजा जावे।
13. नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में कार्य स्वीकृत न किये जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

Digitally signed by
PRIYANKA RISHI MAHOBIA
Date: 10-11-2026
11:55:40

(प्रियंका ऋषि महोबिया)
भा. प्र. से.
संचालक
पंचायत, संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर

पृ. क्रमांक/मह.सदन/ LAND-43023/268/2026 -DIR नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक Approved Date.
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, विकास आयुक्त कार्यालय, सेक्टर 19 की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक पंचायत जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।